राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम
1.	1736 / 2024 कोयल सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रतापगढ़। 4. मुख्य जिला अधिकारी, जिला अस्पताल, प्रतापगढ़।	01.05.2024	श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1854 / 2025 कोयल सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रतापगढ़। 4. मुख्य जिला अधिकारी, जिला अस्पताल, प्रतापगढ़।	03.01.2025	श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक :
समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं अन्तरनिहित बिन्दू समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

अपील संख्या 1736 / 2024 (कोयल सैनी बनाम राजस्थान राज्य)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के सामान्य वर्ग में फार्मासिस्ट के पद चयन होने पर उसे आदेश दिनांक 12.02.2009 को नियुक्ति प्रदान की जाकर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में नियुक्ति दी गई। नियुक्ति से ही अपीलार्थी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं उच्च अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार कार्य कर रही है। वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विकल्प मांगे गए, अपीलार्थी ने त्रुटिवश टीएसपी क्षैत्र में सेवा करने का विकल्प प्रस्तुत किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के सेवा पुस्तिका में उसके अनुरूप इंद्राज किया गया। सेवा पुस्तिका की

प्रति अनुलग्नक–1 पर प्रस्तुत है। उसके बाद वर्ष 2022 में टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों से पुनः पत्र दिनांक 02.11.2022 द्वारा विकल्प मांगे गए, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन का विकल्प प्रस्तुत किया गया। पत्र दिनांक 02.11.2025 और प्रस्तुत विकल्प पत्र दिनांक 03.11.2022 अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर विचार करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल प्रतापगढ़ द्वारा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अपनी अभिशंषा पत्र दिनांक 05.11.2011 द्वारा प्रस्तुत की गई (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी के विकल्पों पर विचार कर प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 29.09.2023 को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु जारी फार्मासिस्ट की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 832पर अंकित किया गया। (अनुलग्नक–5) उसके पश्चात दिनांक 18.10.2023 को जारी गैर अनुसूचित क्षेत्र फार्मासिस्ट की संशोधित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 825 पर रखा गया। (अनुलग्नक–6) दिनांक 18.10.2023 के आदेशों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण से सम्पर्क कर सेवा पुस्तिका में संशोधन किया जाने का निवेदन किया परंतु उसकी सेवा पुस्तिका में कोई संशोधन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.03.2024 अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है। वर्ष 2019 में अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से पीएचसी कासी का वास सीकर में आदेश दिनांक 29.09.2019 द्वारा स्थानान्तरण किया गया। परंतु सेवा पुस्तिका में अनुसूचित क्षेत्र में अंकित होने के कारण उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा सेवा पुस्ताका में उसके नये विकल्प गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार संशोधन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के चयन के पश्चात फार्मासिस्ट के पद पर आदेश दिनांक 09.08.2012 द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से जिला चिकित्सालय रतनगढ़ चूरू में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014 से टीएसपी क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में टीएसपी क्षेत्र का अंकन किया गया है। वर्ष 2022 में पुनः टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों से विकल्प मांगे गए। अपीलार्थी द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण/ पदस्थापन का विकल्प दिनांक 03.11.2022 को प्रस्तुत किया। जिस पर पत्र दिनांक 05.11.2022 द्वारा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान को अभिसंषा

प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी प्रस्तुत विकल्पों पर विचार किया जाकर दिनांक 29.09.2023 को फार्मासिस्ट (नॉन टीएसपी) की जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 832 (मेरिट न. 772) रखा गया है। फार्मासिस्ट (नॉन टीएसपी) की जारी संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 18.10.2023 में अपीलार्थी को कम संख्या 825 (मेरिट न. 712) रखा गया। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2023 एंव 18.10.2023 के कम में प्रत्यर्थी विभाग को सेवा पुस्तिका में संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया परंतु अभी तक सेवा पुस्तिका में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अपीलार्थी का वर्ष 2019 में जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से पीएचसी सीकर में आदेश दिनांक 19.09.2019 द्वारा स्थानान्तरण किया गया परंतु सेवा पुस्तिका में टीएसपी के विकल्प का इंद्राज होने के कारण उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। प्रस्तुत अपील में गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने के आधार पर अपील खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है।

हम यह पाते है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का कोई खंडन/विरोध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014 में प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर सेवा पुस्तिका में टीएसपी क्षेत्र के विकल्पों का अंकन किया गया। परंतु वर्ष 2022 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः विकल्प प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान करने पर अपीलार्थी द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन का विकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु जारी फॉर्मासिस्ट की वरिष्ठता सूची में रखा जाना निर्विवाद है। अतः हम पाते है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में वर्ष 2014 में प्रस्तुत विकल्प के आधार पर टीएसपी क्षेत्र के अंकन को संशोधित किया जाकर नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प जिसे स्वीकार की जा चुका है, के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र का अंकन अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में किया जाना तदानुसार आवश्यक है।

अपील संख्या 1854/2025 (कोयल सैनी बनाम राजस्थान राज्य):–

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 जो निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान द्वारा जारी किया गया है, के कियान्वति हेतु अनुतोष चाहा है। इसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से जिला चिकित्सालय रतनगढ़ चूरू हुआ है। आलौच्य आदेश 15.01.2025 की शर्त संख्या 7 में यह आदेशित किया गया है कि यदि कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियुक्त हुए है या कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र

में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो तो जिनका स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो उनके आदेश की कियान्विति नहीं होगी। आलौच्य आदेश की शर्त संख्या 7 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी के संबंध में इस आदेश (आदेश के शर्त संख्या 7 के अनुसार) की कियान्वति नहीं की जायेगी। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के अनुसार फॉर्मासिस्ट के पद पर चयनित होने के पश्चात उसे आदेश दिनांक 09.08.2012 द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में नियुक्ति प्रदान की गई। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 से पहले अपीलार्थी का तीन बार स्थानान्तरण हुआ है। परंतु इन सभी आदेशों की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कियान्वति नहीं की गई, जिस कारण अपीलर्थी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2014 में टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के संबंध में विकल्प चाहें गए जिसमें अपीलार्थी द्वारा गलती से टीएसपी क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत किया, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार कर उसकी सेवा पुस्तिका में इस अनुरूप इंद्राज किया गया। (अनुलग्नक–2) वर्ष 2022 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः विकल्प चाहे जाने से अपीलार्थी द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन का विकल्प प्रस्तुत किया गया। (अनुलग्नक–3 व 4) अपलार्थी के विकल्प पर विचार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ द्वारा अपनी अभिशंषा सहित निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 15.11.2022 भेजा गया। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश दिनांक 29.09.2023 को फॉर्मासिस्ट नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 832 (अनुलग्नक–6) पर रखा गया और फार्मासिस्ट टीएसपी क्षेत्र हेतु जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 29.09.2023 में अपीलार्थी का कहीं नाम नहीं है। (अनुलग्नक–7) अर्थात टीएसपी क्षेत्र की वरिष्ठता सूची से अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया है। पुनः फॉर्मासिस्ट नॉन टीएसपी के संबंध में जारी संशोधित वरिष्ठता दिनांक 18.10.2023 में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 825 पर रखा गया। (अनुलग्नक–8) आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में कम संख्या 248 पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से जिला चिकित्सालय रतनगढ़ चूरू किया गया है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। (अनुलग्नक–9) प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि उसकी सेवा पुस्तिका में संशोधन नहीं होने के कारण आलौच्य आदेश की शर्त संख्या 7 के अनुसार उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा और

इस क्रम में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा पत्र दिनांक 17.01.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को लिखा गया, इसके पश्चात कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ और अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। (अनुलग्नक–10) अतः अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की शर्त संख्या 7 को अपास्त करने और अपीलार्थी को कार्यमुक्त किए जाने का प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्देशित करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया गया कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की शर्त संख्या 7 के अनुसार नियुक्ति टीएसपी क्षेत्र के लिए होने और स्थानान्तरण टीएसपी क्षेत्र से नॉनटीएसपी क्षेत्र में होने के कारण आलौच्य आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थी के सेवा पुस्तिका में अंकित इंद्राज का संशोधन नहीं किया गया है और अभी तक अपीलार्थी को टीएसपी क्षेत्र की कार्मिक बताया गया है। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से निर्देश प्राप्त कर शेष आवश्यक संशोधन शीघ्र किए जाएगे। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014 में टीएसपी क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में टीएसपी क्षेत्र का अंकन है। वर्ष 2022 पुनः विकल्प मांगे जाने पर अपीलार्थी द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत किया, जिस पर विचार कर जिला स्तर से अभिशंषा निदेशक को प्रस्तुत की गई। जवाब में यह तथ्य भी स्वीकार किया कि नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु फॉर्मासिस्ट के संबंध जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 29.09.2023 और संशोधित वरिष्ठता सूची 18.10.2023 में अपीलार्थी का नाम क्रमशः क्रम संख्या 832 एवं 825 पर अंकित है और फार्मासिस्ट टीएसपी क्षेत्र हेतु जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 29.09.2023 में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की शर्त संख्या 7 के अनुसार अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्वति संभव नहीं हो पा रही है। अतः साथ ही निवेदन किया है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन चाहा गया है और विभागीय जारी पत्र 16.07.2018 के दृष्टिगत अपीलार्थी को स्थानान्तरण की अनुपालना में कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं है।

हमने उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों और उभय पक्षों के कथन से यह स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से जिला चिकित्सालय रतनगढ़ चूरू में किया गया। परंतु

अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में टीएसपी क्षैत्र अंकित हने के कारण आलौच्य आदेश की शर्त संख्या 7 के अनुसार स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और उभय पक्षों के कथन से यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत विकल्प के आधार पर उसको टीएसपी क्षैत्र से हटाकर नॉन टीएसपी क्षैत्र की फॉर्मासिस्ट वरिष्ठता सूची में शुमार किया जा चुका है। मात्र सेवा पुस्तिका में तद्नुसार संशोधन नहीं किए जाने के कारण स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति नहीं की जा रही है। विभाग द्वारा जवाब में यह भी स्वीकार किया गया है कि सेवा पुस्तिका में शीघ्र ही संशोधन कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त विवेचन और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के विचार एवं मनन के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील 1734/2024 को स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में वर्ष 2022 में प्रस्तुत विकल्प, जिसके आधार पर अपीलार्थी को टीएसपी की वरिष्ठता सूची से हटाकर नॉन टीएसपी की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा चुका है, के आधार पर अपीलार्थी के सेवाभिलेख/सेवापुस्तिका में टीएसपी क्षैत्र के अंकन को संशोधित कर नॉन टीएसपी क्षैत्र में अंकन किया जावे। चूंकि अपीलार्थी के संबंध नॉन टीएसपी क्षैत्र का विकल्प प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार किया जाकर वरिष्ठता सूची में संशोधन किया जा चुका है और इस तथ्य को प्रस्तुत जवाब में भी स्वीकार किया गया है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की शर्त संख्या 7 अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण के आदेश के क्रियान्वति में बाधित नहीं होगी। अतः अपील संख्या 1854/2025 स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी को बिना किसी विलंब के नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)